

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प.6(3)राज.-6/2020/97

जयपुर, दिनांक : 05 NOV 2020

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व (लवणीय क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के नियम 6 के उप-नियम (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित भूमि के क्षेत्र को, जिसे पूर्व में लवण क्षेत्र घोषित किया गया था, को तत्काल प्रभाव से लवणीय क्षेत्र से वापिस लेती है:-
अनुसूची

ग्राम	तहसील	जिला	खसरा नं.	किस्म	क्षेत्रफल	लवणीय क्षेत्र से वापिस लिया जाने वाला क्षेत्रफल
कलावा	पंचंपदरा	बाड़मेर	1039/8	गैर मुमकिन खार	3-11 बीघा	40 वर्ग मीटर

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कमलेश आबुसुरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
6. जिला कलक्टर, बाड़मेर।
7. रिदेशक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को असाधारण अंक में दिनांक..... में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
8. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
9. राट्टि, राजस्व मण्डल अजमेर।
10. समस्त संयुक्त शासन सचिव एवं उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव